छत्तीसगढ़ शासन

तकनीकी शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना

योजना का उद्देश्य

तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित शिक्षार्थियों को मोरेटोरियम अवधि (पाठ्यक्रम की अवधि + एक वर्ष या नौकरी लगने के उपरांत छः माह जो भी पहले हो) के उपरांत नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण राशि के ब्याज भार में छूट प्रदान करना।

ब्याज अनुदान हेतु पात्रता

- छात्र छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- अधिकतम पारिवारिक आय रुपये 2 लाख होनी चाहिए जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
- छात्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित तथा सक्षम प्राधिकारी (यथा ए.आई.सी.टी.ई., यू.जी.सी.) से मान्यता प्राप्त तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित हो अथवा राज्य से बाहर अधिसूचित शैक्षणिक संस्थान में प्रवेशित हो।
- ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रुपये 4 लाख हैं।
- ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रुप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है।
- ड्रॉप-आउट एवं निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बने रहेंगें, किन्तु चिकित्सकीय कारणों, एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रुकावट होने की दशा में पात्रता बनी रहेगी।

योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान का प्रावधान

- राज्य के वामपंथ चरमपंथी प्रभावित जिलों (बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागॉव और बलरामपुर) के निवासी शिक्षार्थियों को मोरेटोरियम अवधि के उपरांत लगने वाले ब्याज का सपूर्ण व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।

- राज्य के शेष जिलों के निवासी शिक्षार्थियों को मोरेटोरियम अवधि के उपरांत केवल 1 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज भार को वहन करना होता है, ब्याज के शेष भाग का व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।

नोडल बैंक - केनरा बैंक इस योजना के तहत अन्य बैंक के ब्याज अनुदान के दावों हेतु नोडल बैंक है, किन्तु छात्र किसी भी 28 सार्वजनिक अथवा 21 निजी बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकता है।

योजना का क्रियान्वयन -

- राज्य शासन द्वारा समस्त जिलो में स्थित शासकीय पालीटेक्निक संस्थाओं के प्राचार्य को संबंधित जिले के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- राज्य शासन द्वारा वहन की जाने वाली राशि की प्रतिपूर्ति बैंकों द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर केनरा बैंक के माध्यम से की जाती है।
- संबंधित बैंक द्वारा प्राप्त राशि विद्यार्थी को प्रदान किए जाने के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना अनिवार्य है।

भारत सरकार की उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का तुलनात्मक विवरण

भारत सरकार की योजना	छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना
तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित छात्रों के लिए उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना सत्र 2009-10 से लागू है।	तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित छात्रों के लिए उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना सत्र 2012-13 से लागू है।
ब्याज अनुदान योजना मोरेटोरियम अवधि तक लगने वाले ब्याज के अनुदान के लिए है।	ब्याज अनुदान योजना मोरेटोरियम अवधि के बाद लगने वाले ब्याज के अनुदान के लिए है।

भारत सरकार की उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का तुलनात्मक विवरण

भारत सरकार की योजना	छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना
समस्त स्त्रोतो से विद्यार्थी की अधिकतम पारिवारिक आय रू. 4.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।	समस्त स्त्रोतो से विद्यार्थी की अधिकतम पारिवारिक आय रू. 2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रू. 10.00 लाख है।	ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रू. 4.00 लाख है।
केनरा बैंक इस योजना हेतु नोडल बैंक है।	केनरा बैंक इस योजना हेतु नोडल बैंक है।

भारत सरकार की उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का तुलनात्मक विवरण

भारत सरकार की योजना	छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना
मोरेटोरियम अवधि तक के ब्याज का भार केन्द्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है।	• मोरेटोरियम अवधि के पश्चात, ऋण किस्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण पर ब्याज अनुदान राज्य के वामपंथ चरमपंथी प्रभावित जिलों, अर्थात वे जिलें जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार का गृह मंत्रालय सुरक्षा संबंधी व्यय योजना में सम्मिलित करता है के निवासी शिक्षार्थियों के संपूर्ण ब्याज भार का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। • राज्य के शेष जिलों के निवासी शिक्षार्थियों को केवल 1 प्रतिशत की दर से ब्याज का भार वहन करना होता है एवं शेष ब्याज की राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार की उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का तुलनात्मक विवरण

भारत सरकार की योजना	छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना
केन्द्र सरकार द्वार प्रत्येक वर्ष अगस्त माह से नवंबर माह के मध्य विभिन्न बैंकों के लिए ब्याज अनुदान राशि क्लेम करने हेतु दो माह के लिए केनरा बैंक को पोर्टल खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है।	ब्याज सब्सिडी विभिन्न बैंकों द्वारा वार्षिक आधार पर वित्तीय वर्ष समाप्ति के 30 दिन के अंदर नोडल बैंक से क्लेम किया जाना होता है। शेष बचे हुए क्लेम को 60 दिन के अंदर करना अनिवार्य होता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 60 दिन के उपरांत किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं किया जाता है।

The List of Eligible Courses

1	Bachelor of Engineering (B.E)	**10**	Master Business Administration (MBA)
2	Master of Engineering (M.E)	**11**	Diploma Engineering (D.E.)
3	Master of Technology (M.TECH.)	**12**	Diploma in Modern Office Management (MOM)
4	Bachelor of Pharmacy (B.Pharma)	**13**	Diploma in Interior Designing & Decoration (IDD)
5	Master of Pharmacy (M.Pharma)	**14**	Diploma in Costume Designing & Dress making (CDDM)
6	Diploma of Pharmacy (D.Pharma)	**15**	Diploma in Architecture (DA)
7	Bachelor of Education (B.Ed.)	**16**	Post Graduation Diploma in Computer Application (PGDCA)
8	Diploma of Education (D.Ed.)	**17**	Master of Education (M.Ed.)
9	Master Computer Application (MCA)	**18**	Bachelor of Physical Education (B.P.Ed)

The List of Eligible Courses

19	Master of Physical Education (M.P.Ed)	**28**	Master of Dental Surgery (M.D.S)
20	Bachelor of Homeopathy Medicine and Surgery (B.H.M.S.)	**29**	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B.B.S)
21	Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.AM.S.)	**30**	Bachelor of Veterinary Science(BVSc.)
22	Bachelor of Naturopathy and Yoga Science (B.N.Y.S.)	**31**	Bachelor of fishery Science (BFSc.)
23	Bachelor of Yunani Medicine and Surgery (B.U.M.S.)	**32**	Bachelor of Technology (Dairy Technology)
24	B.Sc.. Nursing (Basic)	**33**	Bachelor of Technology (Agriculture Engineering)
25	B.Sc.. Nursing (Post Basic)	**34**	Bachelor of Agriculture (B.Ag.)
26	M.Sc. Nursing	**35**	Bachelor of Architecture (B.Arch.)
27	Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.)		

योजना हेतु अधिसूचित केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के संस्थान

1	Indian Institutes of Management (IIMs)	**10**	Indian School of Mines (ISM) Dhanbad
2	Indian Institutes of Technology (IITs)	**11**	All India Institute of Medical Sciences (AIIMSs)
3	National Institutes of Technology (NITs)	**12**	Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research
4	Indian Institutes of Information Technology (IIITs)	**13**	National Institute of Mental Health and Neurosciences
5	Central Universities	**14**	Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology
6	Indian Statistical Institutes (ISIs)	**15**	Post Graduate Institute of Medical Education and Research
7	Indian Institutes of Science Education and Research (IISERs)	**16**	Sree Chitra Thirunal Institute of Medical Sciences and Technology
8	National Institutes of Pharmaceutical Education and Research(NIPERs)	**17**	National Institute of Design, Ahmadabad
9	Indian Institute of Science (IISc) Banglore	**18**	Schools of Planning and Architecture, (SAPs)

योजना हेतु अधिसूचित केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के संस्थान

19	National Institutes of Technical Teachers' Training and Research (NITTTRs)	**27**	Indian Institutes of Forest Management (IIFMs)
20	National Institute of Industrial Engg. (NITIE), Mumbai	**28**	National Institutes of Fashion Technology (NIFTs)
21	National Institute of Foundry & Forge Technology (NIFFT), Ranchi	**29**	Indian Institute of Tourism & Travel Management (IITTMs)
22	Central Institute of Technology, Kokrajhar	**30**	All other AICTE approved Technical Institutions
23	Sant Longowal Institute of Engineering & Technology (SLIET), Longowal, Punjab	**31**	Other Institutes running Professional/Technical courses & funded by Central Govt.
24	North Eastern Regional Institute of Science & Technology (NERIST), Itanagar	**32**	All Medical Colleges recognized by Medical Council of India (M.C.I.)
25	Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition,	**33**	All Dental Colleges recognized by Dental Council of India (D.C.I.)
26	National Environmental Engineering Research Institute (NEERI)	**34**	All Nursing Colleges recognized by Nursing Council of India (I.N.C.)

Names of Scheduled Banks in India (Public Sector)

1	**Allahabad Bank**	**15**	**State Bank of Bikaner and Jaipur**
2	Andhra Bank	16	State Bank of Hyderabad
3	**Bank of Baroda**	**17**	**Satte Bank of India**
4	**Bank of India**	**18**	**State Bank of Mysore**
5	**Bank of Maharashtra**	**19**	**State Bank of Patiala**
6	**Canara Bank**	**20**	**State Bank of Travancore**
7	**Central Bank of India**	**21**	**Syndicate Bank**
8	**Corporation Bank**	**22**	**UCO Bank**
9	**Dena Bank**	**23**	**Union Bank of India**
10	**Indian Bank**	**24**	**United Bank of India**
11	**Indian Overseas Bank**	**25**	**Vijaya Bank**
12	**Oriental Bank of Commerce**	**26**	**IDBI Bank**
13	**Punjab and Sindh Bank**	**27**	**Saurashtra Gramin Bank (RRB)**
14	**Punjab Natioanl Bank**	**28**	**Regional Rural Banks (RRBs)**

Names of Scheduled Banks in India (Private Sector)

1	Axis Bank Ltd	12	IndusInd Bank
2	Bank of Punjab Ltd	13	ING Vysya Bank
3	Bank of Rajasthan	14	Jammu & Kashmir Bank
4	Catholic Syrian Bank	15	Nainital Bank
5	Centurion Bank Ltd	16	Karnataka Bank
6	City Union Bank	17	Karur Vysya Bank
7	Development Credit Bank	18	Kotak Mahindra Bank
8	Dhanlaxmi Bank	19	Lakshmi Vilas Bank
9	Federal Bank Ltd	20	Saraswat Bank
10	HDFC Bank Ltd	21	South Indian Bank Ltd
11	ICICI Banking Corporation Bank Ltd		

Certificate and Undertaking

1. **Certified that interest subsidy (reimbursement) claim/(s) submitted by us for Session 2017-18 is/are in respect that Student/(s) who is/are eligible under the interest Subsidy Scheme announced by the Government of Chhattisgarh.**
2. **Certified further that we have verified and are satisfied about the genuineness and correctness of the interest subsidy claim/(s) submitted by us and the same is/are correct, accurate and genuine and is/are as per the Interest Subsidy Scheme announced by the Government of Chhattisgarh.**
3. **We further agree and undertake to remit any amount received from Canara Bank in excess of our claim/amount reimbursed by Government of Chhattisgarh to Canara Bank. Further, we authorise Canara bank to return the amount received from the Government against our claim/s and held by Canara Bank, if the Government requests for such refund for whatever reason.**
4. **Certified that we have exercised due diligence in furnishing the information in the reporting format to claim the reimbursement of the interest subsidy from Government of Chhattisgarh.**

Name:
Designation:
Date:

Signature & Official Seal of Authorised Signatory

उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate)

प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत प्रदत्त ब्याज अनुदान दावा राशि, वर्ष 2017-18 हेतु राशि रू...../- (शब्दों में -रू.....) नोडल बैंक (केनरा बैंक) के माध्यम से प्राप्त हुई है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि नोडल बैंक से प्राप्त उक्त ब्याज अनुदान दावा राशि वर्ष 2017-18 हेतु रू. राशि रू...../- (शब्दों में -रू.....) को संबंधित छात्र-छात्राओं के ऋण खातों में समायोजित कर दिया गया है।

तद्नुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate) प्रेषित है।

दिनांक

भवदीय

महाप्रबंधक

हस्ताक्षर एवं आफिसियल सील आफ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

बजट प्रावधान एवं ब्याज अनुदान की राशि

क्र.	सत्र	लाभांवित विद्यार्थियों की संख्या	बजट प्रावधान	ब्याज अनुदान की राशि
1	2015-16	1084	2.00 करोड	2.03 करोड
2	2016-17	773	3.00 करोड	1.64 करोड
3	2017-18	क्लेम नोडल बैंक (केनरा बैंक) से प्राप्त होना शेष है।	3.00 करोड	-

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2015-16

क्र.	जिले का नाम	लाभांवित विद्यार्थियो की संख्या				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल
1	बस्तर	0	7	1	8	16
2	बिलासपुर	2	9	15	91	117
3	दंतेवाड़ा	1	0	1	0	2
4	धमतरी	1	0	9	8	18
5	दुर्ग	19	3	49	107	178
6	जांजगीर-चांपा	2	2	20	17	41
7	जशपुर	0	0	2	3	5
8	कांकेर	0	0	3	2	5
9	कबीरधाम	0	0	1	0	1
10	कोरबा	12	12	46	64	134
11	कोरिया	0	0	1	2	3
12	महासमुंद	1	6	8	6	21
13	रायगढ़	2	0	12	11	25
14	रायपुर	11	11	72	340	434
15	राजनांदगांव	3	1	18	11	33
16	सरगुजा	1	3	7	40	51
	कुल	**55**	**54**	**265**	**710**	**1084**

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2016-17

क्र.	जिले का नाम	लाभांवित विद्यार्थियो की संख्या				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल
1	बस्तर	2	11	1	5	19
2	बिलासपुर	1	4	16	73	94
3	दंतेवाड़ा	0	0	0	0	0
4	धमतरी	0	0	5	1	6
5	दुर्ग	1	1	8	15	25
6	जांजगीर-चांपा	0	0	0	0	0
7	जशपुर	0	0	0	0	0
8	कांकेर	0	0	0	0	0
9	कबीरधाम	1	0	1	3	5
10	कोरबा	0	0	0	0	0
11	कोरिया	0	0	0	2	2
12	महासमुंद	6	12	24	4	46
13	रायगढ़	0	0	1	1	2
14	रायपुर	7	5	57	212	281
15	राजनांदगांव	4	0	11	11	26
16	सरगुजा	0	3	8	27	38
17	बालोद	2	2	6	1	11
18	अन्य	19	26	77	96	218
	कुल	**43**	**64**	**215**	**451**	**773**

मानिटरिंग सिस्टम -

- योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त 27 जिलों में पॉलीटेक्निक संस्थाओं के प्राचार्यों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- योजना के प्रचार प्रसार एवं जिला स्तर पर नोडल अधिकारी योजना की जानकारी विद्यार्थियों को जिलें में स्थित संस्थानों में कार्यशाला आयोजित कर प्रदान करते है।
- नोडल अधिकारी जिले में स्थित लीड बैंक अधिकारी से संपर्क कर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ऋण दिलवाने में मदद करते है।

योजना के क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतें –

- योजना के तहत् 28 पब्लिक सेक्टर की बैंक एवं 21 प्राईवेट सेक्टर की बैंक लोन प्रदान करती है, लेकिन सत्र 2015-16 में केवल 14 बैंक के द्वारा एवं सत्र 2016-17 में केवल 10 बैंक के द्वारा ही क्लेम प्रस्तुत किया गया।
- बैंक के द्वारा क्लेम प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में ब्याज की राशि बैंक द्वारा विद्यार्थियों से वसूली जाती है। जिससे योजना का लाभ समस्त विद्यार्थियों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
- योजना की जानकारी बैंक शाखा प्रबंधको को ठीक से नहीं है।
- ब्याज अनुदान की राशि का समायोजन छात्रों के खाते में करने के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम –

- समस्त पब्लिक सेक्टर बैंक एवं प्राईवेट सेक्टर बैंक के कन्ट्रोलिंग आफिसर के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठक का आयोजन करना।
- बैंकों की समस्त शाखाओं में योजना से संबंधित जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करना।
- योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार समस्त जिलों के नोडल अधिकारियों के द्वारा किया जाना।
- समय-समय पर शासन स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में योजना के प्रचार-प्रसार हेतु स्टॉल लगा कर योजना की जानकारी प्रदान किया जाना।
- ब्याज अनुदान की राशि नोडल बैंक के माध्यम से 01 अप्रैल से 30 मई के मध्य करना सुनिश्चित करना।
- संबंधित बैंक द्वारा प्राप्त राशि विद्यार्थी को उनके खाते में समायोजन के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेः

संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय
तृतीय तल, चतुर्थ ब्लॉक, इंद्रावती भवन
अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ)
फोन नम्बर: 0771-2221376, 9589540817
ई मेल : **cgdtecounselling@gmail.**com

धन्यवाद्